तापमान

भोपाल	24.0°	31.0°
इंदौर	24.0°	31.0°
जबलपुर	26.0°	33.0°
ग्वालियर	28.0°	35.0°
सागर	24.0°	31.0°

नईदुनिया

वर्ष- 80
(भोपालः वर्ष 41 अंक 226, पृष्ठ 12)
आषाढ़, शुक्ल प्रतिपदा संवत् 2083
बुधवार, 15 जुलाई 2026
कीमतः 3:00 रुपये

www.naiduniaonline.com
भोपाल संस्करण
भोपाल एवं सागर से एकसाथ प्रकाशित

राजधानी... नशे के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति नी अडिग...

खेल... भारतीय क्रिकेट टीम के सहायक कोच का पद छोड़ ...

व्यापार... भारत और स्पेन ने आर्थिक साझेदारी मजबूत ...

देश-विदेश... संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत ने पेश की ...

खास-खबरें

ट्रंप ने होर्मुज़ से टैक्स वसूली का निर्णय वापस लिया

वाशिंगटन, एजेंसी: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने होर्मुज़ जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों पर 20 प्रतिशत शुल्क लगाने का अपना निर्णय 24 घंटे के भीतर वापस ले लिया है। उन्होंने सामाजिक माध्यम पर बताया कि पश्चिम एशिया के नेताओं के साथ बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया है। ट्रंप ने कहा कि अब खाड़ी के देश अमेरिका में बड़े पैमाने पर निवेश करेंगे, जिससे लाखों रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उल्लेखनीय है कि ट्रंप ने सोमवार को इस शुल्क की घोषणा की थी। इस निर्णय की कई देशों ने आलोचना की थी। ईरान ने भी इस पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि 20 प्रतिशत शुल्क बहुत अधिक है और वह इससे कम शुल्क लेगा।

सोनम का अनशन 17वें दिन भी जारी

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्ली: दिल्ली के जंतर-मंतर पर सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल मंगलवार को 17वें दिन भी जारी रही। लगातार अनशन के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ने की जानकारी सामने आई है। बताया गया है कि अनशन शुरू होने के समय उनका वजन 67 किलोग्राम था, जो अब 8.5 किलोग्राम घट चुका है। सोनम वांगचुक राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक तथा परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर 28 जून से अनशन पर हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा, अभिनेता नसीरुद्दीन शाह, रत्ना पाठक शाह तथा लेखिका अरुंधति रॉय सहित कई प्रमुख हस्तियों ने वांगचुक से स्वास्थ्य को देखते हुए भूख हड़ताल समाप्त करने की अपील की है। इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि सरकार वांगचुक की स्थिति को लेकर गंभीर नहीं है। पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा कि वांगचुक के स्वास्थ्य पर खतरा मंडरा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट का मप्र सरकार को निर्देश, परिसर में संरचनात्मक परिवर्तन पर रोक

भोजशाला के पास शुक्रवार को दोपहर 1 से 3 बजे तक ही नमाज की अनुमति

▸▸ स्पष्ट निर्देशः न्यायालय की अनुमति बिना एएसआई नहीं करेगा बदलाव

नईदुनिया ब्यूरो, धारः धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला परिसर से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि प्रत्येक शुक्रवार दोपहर एक बजे से तीन बजे के बीच नमाज के लिए मुस्लिम पक्ष को परिसर के निकट कोई खुला स्थान उपलब्ध कराया जाए। साथ ही न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को स्पष्ट निर्देश दिया कि न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भोजशाला परिसर में किसी भी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस निर्णय को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें भोजशाला परिसर को मां सरस्वती का मंदिर माना गया था तथा परिसर में नमाज अदा करने पर रोक लगाई गई थी। सुनवाई के बाद भोजशाला संयोजक गोपाल शर्मा ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार परिसर में नियमित पूजा-अर्चना पूर्ववत जारी रहेगी, जबकि न्यायालय द्वारा निर्धारित स्थान पर मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा कर सकेंगे।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहन की पीठ ने मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं पर सभी पक्षों को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। न्यायालय ने फिलहाल अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही पहले लागू व्यवस्था को बहाल करने का अनुरोध भी स्वीकार नहीं किया गया, जिसके अंतर्गत शुक्रवार को नमाज और निर्धारित दिनों में हिंदू पक्ष को पूजा की अनुमति थी।

मुस्लिम पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने दलील दी कि उच्च न्यायालय के निर्णय से वर्षों से चली आ रही धार्मिक व्यवस्था पूरी तरह बदल गई है। उनका कहना था कि लंबे समय से शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय नमाज अदा करता रहा है, जबकि मंगलवार को हिंदू पक्ष को पूजा की अनुमति थी। उन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की प्रतिवेदन और उसके आधार पर दिए गए निष्कर्षों पर भी आपत्ति जताई।

मुस्लिम पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने भी पक्ष रखते हुए कहा कि उच्च न्यायालय का निर्णय पूजा स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1991 की भावना और प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि परिसर में लंबे समय से नमाज अदा किए जाने के संबंध में सरकारी अभिलेख उपलब्ध हैं और पुरानी व्यवस्था को बदलना उचित नहीं है। केंद्र सरकार की ओर से महाधिवक्ता तुषार मेहता ने न्यायालय को बताया कि उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद प्रशासन ने पूरे मामले को शांतिपूर्ण ढंग से संभाला है तथा कहीं भी कानून-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न नहीं हुई। उल्लेखनीय है कि 15 मई 2026 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की प्रतिवेदन तथा अन्य साक्ष्यों के आधार पर भोजशाला परिसर को मां सरस्वती का मंदिर माना था और वहां नमाज अदा करने पर रोक लगाई थी। इसी निर्णय के विरुद्ध मुस्लिम पक्ष ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। अब सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में सभी पक्षों की दलीलों, ऐतिहासिक अभिलेखों और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करेगा। मामले की अगली विस्तृत सुनवाई लगभग तीन सप्ताह बाद किए जाने के संकेत दिए गए हैं।

तीन भाषा नीति पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इन्कार

▸▸ न्यायालय ने कहा- कोई भी भाषा सीखना कभी व्यर्थ नहीं, आज होगी सुनवाई

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तीन भाषा नीति पर रोक लगाने से मंगलवार को इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहन की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि कोई भी भाषा सीखना कभी व्यर्थ नहीं जाता। मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होगी।

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि वर्ष 2026-27 के शैक्षणिक सत्र से लागू नई नीति के तहत विद्यार्थियों को दो भारतीय भाषाएं पढ़नी होंगी, जिसके कारण उन्हें कक्षा पांच से पढ़ी जा रही भाषाओं को छोड़ना पड़ेगा। उन्होंने यह भी कहा कि अंग्रेजी को गैर-मूल भाषा माना गया है तथा कई भारतीय भाषाओं के लिए न तो पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध हैं और न ही पाठ्यपुस्तकें।

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने दलील दी कि विद्यालयों में आवश्यक संसाधनों के अभाव में नीति लागू करने से विद्यार्थियों और शिक्षकों दोनों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यदि किसी शिक्षक को इस कारण नौकरी से हटाया जाता है तो न्यायालय उसे पुनः सेवा में बहाल कराने पर विचार करेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 15 मई को वर्ष 2026-27 के शैक्षणिक सत्र से तीन भाषा नीति लागू करने का परिपत्र जारी किया था।

राम मंदिर चढ़ावा प्रकरण में तीन करोड़ की चोरी का अनुमान, आरोपी के मकान पर अंतिम नोटिस

ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ने 14 करोड़ रुपये की चोरी की खबरों का किया खंडन

नईदुनिया ब्यूरो, अयोध्याः राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंददेव गिरि ने कहा है कि उनके अनुमान के अनुसार लगभग तीन करोड़ रुपये की चोरी हुई है। उन्होंने 14 करोड़ रुपये के सोने-चांदी के आभूषण और नकदी चोरी होने संबंधी खबरों को गलत बताया। पुणे में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने अपने इस्तीफे की चर्चाओं का भी खंडन करते हुए कहा कि उन्होंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है।

इस बीच अयोध्या विकास प्राधिकरण ने चढ़ावा चोरी के आरोपी लवकुश मिश्रा के निर्माणाधीन मकान पर अंतिम नोटिस चस्पा कर दिया है। इससे पहले तीन जुलाई को भी नोटिस जारी की गई थी, लेकिन लवकुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। प्राधिकरण ने 15 जुलाई तक अंतिम अवसर देते हुए चेतावनी दी है कि निर्धारित समय तक उत्तर नहीं मिलने पर निर्माणाधीन मकान को सील कर दिया जाएगा।

उधर, श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की वेबसाइट से पूर्व महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी डॉ. अनिल मिश्र का नाम हटा दिया गया है। अंतरिम महासचिव कृष्ण मोहन और ट्रस्टी महंत दिनेंद्र दास के नाम से नए विशेष प्रवेश पहचान पत्र जारी किए गए हैं।

मंत्रि-परिषद ने 10,800 करोड़ रुपये के विकास प्रस्तावों को दी मंजूरी

टेक-होम राशन की जिम्मेदारी महिला एवं बाल विकास विभाग को सौंपी

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपालः मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में आयोजित मंत्रि-परिषद की बैठक में प्रदेश के बुनियादी ढांचे और जनकल्याण से जुड़े 10 हजार 800 करोड़ रुपये के विभिन्न विकास प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में नगरीय अधोसंरचना विकास, सिंचाई परियोजनाओं, किसानों के हित, महिला एवं बाल विकास तथा वाणिज्यिक कर विभाग से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में टेक-होम राशन के उत्पादन एवं वितरण की व्यवस्था मध्यप्रदेश राज्य आजीविका फोरम से वापस लेकर महिला एवं बाल विकास विभाग को तत्काल हस्तांतरित करने का निर्णय लिया गया। अंतरिम व्यवस्था के तहत स्व-सहायता समूहों के माध्यम से पूरक पोषण आहार उपलब्ध कराया जाएगा तथा नई व्यवस्था लागू होने तक विभाग अल्पकालीन निविदा के माध्यम से व्यवस्था संचालित करेगा।

मंत्रि-परिषद ने नगरीय क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास के लिए 8 हजार 445 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की। यह राशि पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क के अधिभार से प्राप्त निधि के माध्यम से आगामी पांच वर्षों तक नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर परिषदों में अधोसंरचना विकास कार्यों तथा ऋण पुनर्भुगतान के लिए उपयोग की जाएगी।

बैठक में राजगढ़ जिले की कुण्डलिया वृहद सिंचाई परियोजना को एक अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक निरंतर संचालित रखने के लिए 245 करोड़ 45 लाख रुपये स्वीकृत किए गए। इस परियोजना के माध्यम से राजगढ़ और आगर-मालवा जिले के 1 लाख 39 हजार 600 हेक्टेयर क्षेत्र में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के जरिए सिंचाई सुविधा विकसित की जाएगी।

मंत्रि-परिषद ने रबी वर्ष 2023-24 के दौरान लक्ष्य से अधिक खरीदी गई मूंग के लिए 1 हजार 587 करोड़ रुपये की निःशुल्क शासकीय प्रत्याभूति उपलब्ध कराने का भी निर्णय लिया। इसके अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक और भारतीय स्टेट बैंक से ली गई साख सीमा के लिए निर्धारित अवधि तक शासकीय प्रत्याभूति उपलब्ध कराई जाएगी।

इसके अलावा वाणिज्यिक कर विभाग की तीन स्थापना योजनाओं के संचालन के लिए वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक 521 करोड़ 4 लाख रुपये स्वीकृत किए गए। इस राशि का उपयोग मुख्यालय, जिला तथा परिक्षेत्रीय कार्यालयों के संचालन, कर्मचारियों के वेतन-भत्तों, कार्यालय व्यय, व्यावसायिक सेवाओं के भुगतान तथा मशीनों, फर्नीचर और वाहनों के रखरखाव पर किया जाएगा।

होर्मुज़ में हमलों पर भारत का कड़ा विरोध

ईरानी दूतावास के उप प्रमुख तलब, सुरक्षित समुद्री आवागमन सुनिश्चित करने की अपील

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः होर्मुज़ जलडमरूमध्य में मंगलवार सुबह दो वाणिज्यिक जहाजों पर हुए हमलों के बाद भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने नई दिल्ली स्थित ईरानी दूतावास के उप प्रमुख को तलब कर भारत का विरोध दर्ज कराया। मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर हुए इन हमलों की निंदा करते हुए कहा कि ऐसे हमले तत्काल बंद होने चाहिए।

विदेश मंत्रालय के अनुसार हमले का शिकार बने दोनों जहाजों पर कुल 30 भारतीय नाविक सवार थे। इनमें एक भारतीय नाविक की मृत्यु हो गई, जबकि 10 अन्य घायल हुए हैं। भारत ने मृतक के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव गंभीर चिंता का विषय है। भारत ने सभी पक्षों से हिंसा रोकने तथा संवाद और कूटनीति के माध्यम से समाधान तलाशने की अपील की है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि होर्मुज़ जलडमरूमध्य जैसे महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर जहाजों की सुरक्षित आवाजाही और निर्बाध व्यापार हर परिस्थिति में सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

विदेश मंत्रालय ने यह भी जानकारी दी कि भारत से जुड़े 11 जहाज और 148 भारतीय नाविक फिलहाल फारस की खाड़ी में फंसे हुए हैं। ये सभी जहाज होर्मुज़ जलडमरूमध्य से सुरक्षित गुजरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भारत ने क्षेत्र की स्थिति पर लगातार नजर बनाए रखने और भारतीय नागरिकों तथा नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात कही है।

आतंकी हाफिज सईद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट

नईदुनिया ब्यूरो, श्रीनगरः जम्मू की विशेष न्यायालय ने पहलगाम आतंकी हमले के मामले में लश्कर-ए-तैयबा प्रमुख हाफिज सईद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। न्यायालय ने कहा कि निष्पक्ष जांच के लिए हाफिज सईद को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जाना आवश्यक है। यह आदेश आठ जुलाई को जारी किया गया था, जिसकी जानकारी मंगलवार को सामने आई। इससे पहले छह जुलाई को राष्ट्रीय जांच अभिकरण ने मामले में अनुपूरक आरोप-पत्र दाखिल करते हुए कहा था कि बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले की साजिश हाफिज सईद ने रची थी। अभिकरण ने उस पर भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का भी आरोप लगाया है। गौरतलब है कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकवादियों ने पर्यटकों की धार्मिक पहचान पूछकर हमला किया था, जिसमें 26 पर्यटकों की मृत्यु हो गई थी। घटना के बाद भारत ने छह और सात मई की रात ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में नौ ठिकानों पर कार्रवाई की थी। राष्ट्रीय जांच अभिकरण के अनुसार पहले आरोप-पत्र में छह आतंकियों को आरोपी बनाया गया था। जांच में हमले के मुख्य संचालक के रूप में सैफुल्लाह जट्ट उर्फ साजिद लंगड़ा का नाम सामने आया है, जिस पर 10 लाख रुपये का इनाम घोषित है।

दिव्यांगों पर टिप्पणी मामले में छह लोगों पर लगा जुर्माना

▸▸ उच्चतम न्यायालय ने दो सप्ताह में तीन लाख रुपये जमा करने का दिया निर्देश

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने दिव्यांगों पर कथित विवादित टिप्पणी के मामले में हास्य कलाकार समय रैना, रणवीर अलाहाबादिया, विपुल गोयल, बलराज परमजीत सिंह घई, सोनाली ठक्कर और निशांत जगदीश तंवर पर तीन-तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। न्यायालय ने सभी को दो सप्ताह के भीतर यह राशि जमा करने का निर्देश दिया है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पूर्व आदेश के बावजूद समय रैना ने अपने कार्यक्रम में किसी दिव्यांग व्यक्ति को शामिल नहीं किया और न्यायालय को गुमराह किया। न्यायालय ने कहा कि संबंधित लोगों को सुधार का अवसर दिया गया था, लेकिन अपेक्षित बदलाव नहीं दिखा। मामले की सुनवाई दिव्यांगों के अधिकारों से जुड़ी एक संस्था की याचिका पर हुई। न्यायालय ने कहा कि यदि जुर्माना निर्धारित अवधि में जमा नहीं किया गया तो इसे बढ़ाकर 30 लाख रुपये तक किया जा सकता है। साथ ही समाज के प्रत्येक वर्ग की गरिमा और भावनाओं का सम्मान करने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

रक्षा नीति | 14 महीनों में 9.80 लाख करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्ताव मंजूर, लंबी अवधि के सैन्य संघर्ष की तैयारी पर जोर

ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा खरीद को मिली नई दिशा

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत की रक्षा खरीद नीति में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिला है। पिछले 14 महीनों के दौरान स्वीकृत प्रस्तावों से संकेत मिलता है कि अब सेना को केवल सीमित सैन्य कार्रवाई के लिए नहीं, बल्कि लंबे समय तक चलने वाले और बहुस्तरीय संघर्षों के लिए तैयार किया जा रहा है। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने इस अवधि में 55 प्रस्तावों को मंजूरी दी है, जिनका कुल मूल्य 9.80 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। यह राशि एक साथ खर्च नहीं होगी, बल्कि आने वाले वर्षों में विभिन्न रक्षा सौदों, निर्माण कार्यक्रमों और आधुनिकीकरण योजनाओं पर चरणबद्ध तरीके से व्यय की जाएगी।

रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार बदलती वैश्विक परिस्थितियों ने सैन्य रणनीति को प्रभावित किया है। अब युद्ध शुरू होना असामान्य नहीं माना जा रहा है और एक बार संघर्ष आरंभ होने के बाद उसे शीघ्र समाप्त करना भी कठिन होता जा रहा है। साथ ही विरोधी देशों की रणनीति लंबे समय तक आर्थिक और सैन्य दबाव बनाए रखने की रहती है। इसी कारण नए रक्षा प्रस्तावों में लंबे समय तक हथियारों की उपलब्धता, त्वरित मरम्मत व्यवस्था और रसद तंत्र को मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान दिया गया है। हालांकि पनडुब्बियों और पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों से जुड़े कार्यक्रमों में हो रही देरी अब भी चुनौती बनी हुई है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस, आकाश, भटककर लक्ष्य भेदने वाले आयुध तथा नेत्र जैसी स्वदेशी प्रणालियों के उपयोग के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय रक्षा उपकरणों की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। अनेक देशों ने इनकी खरीद में रुचि दिखाई है और कई देशों के साथ हजारों करोड़ रुपये के रक्षा समझौते भी हो चुके हैं। इन सौदों का मूल्य 21 हजार करोड़ रुपये से अधिक बताया गया है।

रक्षा मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025-26 में देश का रक्षा निर्यात बढ़कर 38,424 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की तुलना में 62 प्रतिशत अधिक है। ब्रह्मोस मिसाइल के लिए फिलीपींस, वियतनाम तथा दो अन्य देशों के साथ लगभग 12,500 करोड़ रुपये के समझौते हो चुके हैं। वहीं इंडोनेशिया के साथ लगभग 3,600 करोड़ रुपये का समझौता अंतिम स्वीकृति के चरण में है। आकाश मिसाइल प्रणाली के लिए आर्मेनिया के साथ 6,100 करोड़ रुपये का अनुबंध पहले ही हो चुका है।

वर्तमान में भारत 100 से अधिक देशों को रक्षा उपकरणों का निर्यात कर रहा है, जिनमें अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया प्रमुख हैं। सरकार ने वर्ष 2029-30 तक रक्षा निर्यात को 50,000 करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्ष 2016-17 में यह निर्यात केवल 1,522 करोड़ रुपये था, जिससे स्पष्ट है कि एक दशक से भी कम समय में इसमें 25 गुना से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है।